न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/5691/2005/कोटा

1– शंकरलाल आत्मज श्री लक्ष्मण जी जाति कोली, निवासी ग्राम गेंता तहसील पीपलदा, जिला कोटा, मृतक जरिये कायम मुकामानः–
1/1. श्रीमती कंचन बाई विधवा पत्नी श्री शंकरलाल जी,
1/2. रविन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जी, जाति कोली निवासीगण ग्राम गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा।

------ अपीलांट

बनाम

1– बाबूलाल तथाकथित दत्तक पुत्र नाथूराम जी जाति कोली, निवासी नयापुरा लाखेरी, जिला बून्दी।
2– दी स्टेट ऑफ राजस्थान।

-------- रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 30.09.2024

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा की अपील संख्या 99/2003 में पारित निर्णय दिनांक 15–09–2005 बउनवानी बाबूलाल बनाम शंकरलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 बाबूलाल ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर अपने जवाब में वादी के वाद को अस्वीकार कर आपत्ति उठायी। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण

में आवश्यक तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर दिनांक 24-07-2003 को दावा वादी खारिज कर दिया गया जिस निर्णय दिनांक 24-07-2003 से अप्रसन्न होकर अपीलांट बाबूलाल की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15-09-2005 से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, इसी निर्णय दिनांक 15-09-2005 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी बाबूलाल मृतक खातेदार नाथूलाल का दत्तक पुत्र नहीं है जिसकी पुष्टि जिला एवं सैंशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-08-1998 से होती है तथा वादी बाबूलाल को प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए परीक्षण न्यायालय ने सही तौर पर वादी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया था। वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है तथा प्रतिवादी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता है। वादी बाबूलाल अपने आपको मृतक खातेदार नाथूलाल का दत्तक पुत्र साबित करने में असमर्थ रहा है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने सम्पूर्ण शहादत प्रस्तुत की थी और किसी भी पक्ष की यह भी आपत्ति नहीं थी कि विचारण न्यायालय द्वारा उनको शहादत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23, 23-ए. व 24 के प्रावधानों को समझे बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है। बाबूलाल को मृतक खातेदार नाथूलाल ने कभी भी गोद नहीं लिया तथा जाति समाज एवं गांव में वह नाथूलाल का गोद पुत्र नहीं माना जाता है तथा अपने आपको सक्षम दीवानी न्यायालय से भी नाथूलाल का गोद पुत्र साबित करवाये बिना वाद पेश करने का कोई

विधिक अधिकार नहीं था। श्रीमती पांची बाई जो कि भूमि की खातेदार थी, ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में वसीयत तहरीर कर उसका पंजीयन करवा दिया तथा प्रतिवादी/अपीलांट नाथूलाल के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादी/रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उसका प्रश्नगत भूमि में कोई हक ही है तथा वादी बाबूलाल का नाथूलाल एवं श्रीमती पांची बाई से कभी कोई संबंध भी नहीं रहा है। वादी को भूमि अपने खाते दर्ज करवाने एवं भूमि से प्रतिवादी/अपीलांट को बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इसी आधार पर भी दावा वादी/रेस्पो0 मैन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 15–09–2005 को निरस्त किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2003 को बहाल रखने का निवेदन किया। उन्होंने अपने समर्थन में 2014 ए.आई.आर. पेज 937, 2013 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 2590, 2013 डी.एन.जे. पेज 1255, 2006 आर.आर.टी. पेज 19, 2016 डी.एन.जे. पेज 205, 2019 आर.आर.टी. पेज 184, 2018 आर.आर.टी. पेज 848 एवं 1992 आर.आर.डी. पेज 360 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय में दावा दत्तक पुत्र के आधार पर था जिसमें साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया तथा रेस्पो0 द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये। उसी के आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने आक्षेपित आदेश से प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 की विधिक स्थिति तय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विद्वान अपीलीय न्यायालय का उक्त आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत् है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, इटावा ने अपने निर्णय दिनांक 24–07–2003 में अंकित किया कि वादी का वाद श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–09–2005 में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, इटावा का निर्णय दिनांक 24–07–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा की पत्रावली में संलग्न जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के निर्णय दिनांक 14–08–1998 अंकित है कि एक मात्र आपत्ति बाबूलाल की थी कि मृतका पांचीबाई व उसका पति नाथूलाल ने उसे गोद लिया था और गोदपुत्र होने की हैसियत से उसे अप्रार्थी की परवरिश भी पांचीबाई ने की थी। पांचीबाई ने कभी भी प्रार्थी शंकरलाल के साथ निवास नहीं किया न उसने पांचीबाई की सेवा की। दाह संस्कार तथा क्रियाकर्म किया, बल्कि अप्रार्थी ने उक्त समस्त कार्य किये है तथाकथित वसीयत प्रार्थी ने पांचीबाई ने खाली कागजों पर अंगूठा करवाकर कूटरचित तैयार करवाये है, दिनांक 09–06–1993 को तो पांचीबाई बेहोश थी, सोचने व समझने की स्थिति में नहीं थी, उस रोज की करवाई गयी वसीयत फर्जी व बनावटी है। पांचीबाई का निधन भी अप्रार्थी के मकान पर हुआ। इसलिए प्रार्थी न तो पांचीबाई का उत्तराधिकारी है, न ही उसके पक्ष में कोई विधि के अनुरूप वसीयत की गई है। अतः उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

10– इसी निर्णय में अंकित है कि गोरधन ने दिनांक 17–09–1994 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर प्रकट किया कि पांचीबाई ने उसे खाता सं0 1672 में नॉमिनी नियुक्त किया हुआ है तथा नाथूलाल ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम गेंता की अपनी खातेदारी की आराजी हंस निर्माण आश्रम गेंता के नाम वसीयत की थी उसका व्यवस्थापक देवीलाल कोली इटावा को बनाया। उसकी मृत्यु होने के बाद नाथूलाल की आराजी का

नामान्तरकरण पांचीबाई के नाम तस्दीक हुआ। पांचीबाई ने अपने जीवनकाल में 28–08–1991 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने पति की इच्छानुसार हंस निर्माण आश्रम गेंता के नाम अपनी उक्त संपत्ति के संबंध में इच्छा जाहिर करते हुए गोरधन प्रतिपक्षी को देखरेख व संभाल करने का अधिकार दे दिया और पांचीबाई की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी को ही आश्रम के नाम की गई संपत्ति के संचालन का कार्यभार बतौर व्यवस्थापक दे दिया जिसके अनुसार व समस्त चल अचल संपत्ति की देखभाल कर रहा है। गोरधन का कहना है कि पांचीबाई की मृत्यु से 1 माह पूर्व से काफी बिमार थी जिसकी सेवा सुश्रुषा नाथू के भतीजे मोतीलाल व उसकी भतीजी खीमीबाई करती थी, परन्तु दिनांक 09–06–1993 को शंकरलाल द्वारा षडयन्त्र रचकर रिकॉर्ड में ही जबरदस्ती पांचीबाई की वसीयत बना दी और अंगूठा करवा लिया, 10–06–1993 को प्रातः 8 बजे पांचीबाई का देहावसान हो गया और उक्त परिस्थितियों में शंकरलाल ने पांचीबाई की जायदाद हड़पने के उद्देश्य से फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है जो गैर कानूनी व अवैध है।

11– निर्णय में दादरसी समेत 4 विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये हैं।

विवाद्यक बिन्दु सं0 1 व 2 – ये दोनों विवाद्यक बिन्दु प्रार्थी शंकरलाल के कथन पर आधारित है। उसे सिद्ध करने का भारस्वरूप भी प्रार्थी पर था, परन्तु अनेकों अवसर दिए जाने पर भी उसने अपनी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, फलस्वरूप साक्ष्य अभाव में दोनों विवाद्यक बिन्दुओं का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं0 3 – जहां तक डी.ड. 1 बाबूलाल का प्रश्न है जो प्रत्युत्तर में पांचीबाई का व नाथूलाल का गोदपुत्र कहकर आता है, परन्तु न तो बाबूलाल ने ही अपने प्रत्युत्तर में न ही अपने बयान में प्रकट किया कि तथाकथित गोद रस्म कब, कहां व किस स्थान पर हुई? गोद के समय उसकी आयु क्या थी, विवाहित था या नहीं तथा गोद की क्या रस्म हुई और वह गोद के बाद बतौर पुत्र नाथूलाल या उसकी पत्नी पांचीबाई के साथ रहा अथवा नहीं? बाबूलाल ने दिनांक 10–07–1998 को अपने बयान में अपनी आयु 58 साल लिखाई है जिससे निष्कर्ष निकलता है कि तथाकथित गोद के समय व सम्भवतः विवाहित था और

25 वर्ष से भी अधिक आयु का था। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार भी 15 वर्ष या अधिक आयु का बालक या विवाहित व्यक्ति तब तक गोद में नहीं दिया जा सकता जब तक की पक्षकारों में ऐसा कोई रिवाज–ओ–आम न हो। इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी सिद्ध नहीं है कि बाबूलाल को नाथूलाल या उसकी पत्नी पांचीबाई ने कभी गोद लिया था और उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का भी उचित कारण उपलब्ध नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

12– विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा उपरोक्त विवेचन के अनुसार श्री शंकरलाल तथा श्री बाबूलाल दोनों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये है।

13– पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह विदित हो कि माननीय न्यायालय विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील इत्यादि पेश की गई हो, जिससे माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा का निर्णय अंतिम होकर बाध्यकारी प्रभाव रखता है।

14– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि श्री नाथूलाल के कोई औलाद नहीं थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पांचीबाई जीवित रही है। पांचीबाई का देहान्त दिनांक 10–06–1993 को हो गया तथा 09–06–1993 को रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में वसीयतनामा का पंजीकरण करवाया जाना अवगत कराया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अपने निर्णय में न तो अपीलांट को गोद पुत्र माना है एवं ना ही रेस्पो0 के हक में वसीयत को सिद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय ने दोनों तथ्यों पर न तो विवेचन किया है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, उन पर भी पूर्णतया विवेचन नहीं किया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीन के निर्णय में से दोनों अपीलांट एवं रेस्पो0 की स्थिति किसके हक में जाती है, इस पर भी विवेचन नहीं किया गया है। यदि अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनों भी मृतक नाथूलाल के विधिक उत्तराधिकारी नहीं है तो वादग्रस्त भूमि एसचीट रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत राज्य में निहित की जा सकती है, पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त विवेचन के

आधार पर वादपत्र का निर्णय पुनः तनकियात कायम की जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 की विधिक स्थिति तय की जाकर निर्णय पारित करें।

15- माननीय न्याय दृष्टान्त अपील/डिक्री/टीए/4601/2023/कोटा अब्दुल अजीज हमीद बनाम अब्दुल मजीब खण्डपीठ द्वारा दिनांक 04-07-2024 को पारित अपने निर्णय में गोद लेने के विषय को निर्णित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना अंकित किया है। यह सही है कि गोद लेने तथा वसीयत के विषय को निर्णित करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का पूर्ण विवेचन नहीं किया है।

16- जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय से स्थिति किसके पक्ष में जाती है। इस पर भी विवेचन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित है। विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है।

17- अतः यह विधिसम्मत् प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद पुनः निर्णय पारित किया जावे।

18- योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर आंशिक रूप से लागू होते हैं।

19- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, इटावा का निर्णय दिनांक 24-07-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, इटावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 15-09-2005 में अंकित निर्देशों तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

20- उभयपक्ष विद्वान उपखण्ड अधिकारी, इटावा के न्यायालय में दिनांक 23-10-2024 को उपस्थित हो।

21- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(हेमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**